-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 26.12.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **13 साल से अधिक वर्षों से पुलिस अभिरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार होने वाले एक लाख के इनामिया अभियुक्त को जनपद बांदा की एसओजी व थाना मटौंध की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्त द्वारा दिनांक 08.08.2012 को मा0 न्यायालय कर्वी चित्रकूट से पेशी के बाद बांदा कारागार ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से हो गया था फरार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रण लगाये जाने तथा वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के निकट पर्यवेक्षण में 13 साल से अधिक वर्षों से पुलिस अभिरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर राइफल लूटकर फरार होने वाले एक लाख के इनामिया अभियुक्त को जनपद बांदा की एसओजी व थाना मटौंध की संयुक्त टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। गौरतलब हो कि आज दिनांक 26.12.2025 थाना मटौंध पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम भूरागढ़ बाईपास थाना मटौंध क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चेकिंग में मामूर थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि एक संदिग्ध व्यक्ति तमंचा लिए सोना खदान के पास बैठकर शराब पी रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर घेराबन्दी कर पकड़ने का प्रयास किया गया तो उसके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया, आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहाँ उसकी स्थिति खतरे से बाहर है। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम संदीप पुत्र शिव अवतार उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम खोह थाना कोतवाली कर्वी बताया। जो दिनांक 08.08.2012 को मा0 न्यायालय कर्वी से पेशी के उपरान्त जिला कारागार बांदा ले जाते समय पुलिस अभिरक्षा से फरार हो गया। जिसके सम्बन्ध में थाना अतर्रा पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 180/12 धारा 222/223/224/225/392 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्त पिछले 13 वर्षो से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा एक लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। जिसे आज दिनांक 26.12.2025 को थाना मटौंध पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा सोना खदान भूरागढ़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- संदीप पुत्र शिवऔतार निवासी खोह थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 664/10 धारा 302/504 भादवि व 3(2)5 एससी/एसएटी एक्ट थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।
2. मु0अ0सं0 180/12 धारा 222/223/224/225/392 भादवि थाना अतर्रा जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0 241/25 धारा 109(1) बीएनएस 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध जनपद बांदा।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा कारतूस 315 बोर
- 02 खोखा कारतूस 315 बोर
- 1140 रु/ नगद

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री संदीप कुमार थानाध्यक्ष मटौंध
2. श्री आनन्द सिंह प्रभारी एसओजी
3. चौकी प्रभारी भूरागढ़ श्री दारा सिंह
4. हे0कां0 अश्वनी प्रताप सिंह
5. हे0कां0 आशीष कुमार शर्मा
6. कां0 अमित त्रिपाठी
7. कां0 प्रतीक सिंह
8. कां0 खेमराज चक
9. कां0 आशु सिंह